

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 510]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2015/फाल्गुन 18, 1936

No. 510]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2015 /PHALGUNA 18, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2015

का.आ. 687(अ).—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि यात्रियों अथवा सामान की दुलाई के लिए (भूमि अथवा जल द्वारा) परिवहन (रेलवे के आलावा) में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 1 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/1/2009—आइ.आर. (पी.एल.)]

मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2015

S.O. 687(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the **Transport (other than Railways) for the Carriage of passengers or goods (by land or water)** which is covered by item 1 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a 'Public Utility Service' for the purposes of the said Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a 'Public Utility Service' for the purpose of the said Act for a period of six months.

[F. No. S-11017/1/2009-IR (PL)]

MANISH GUPTA, Jt. Secy.

1110 GI/2015